न्यायालय– विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी	:	पृथ्वी पाल सिंह, आर.जे.एस. (डी.जे. कैडर)
जमानत प्रार्थना पत्र सं.	:	276/2026 (CIS NO. 276/2026)
CNR NO.	:	RJHG050004132026

हरजीत सिंह उर्फ डॉक्टर पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी पुरखाराम की ढाणी, तंदूरवाली पुलिस थाना टिब्बी जिला हनुमानगढ।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, हनुमानगढ ।

––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 205/2026 पीएस–टिब्बी
अपराध अंतर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट

उपस्थिति :–
1. श्री आशीष भिडासरा अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विशिष्ट लोक अभियोजक – राज्य की ओर से ।

–: आदेश :– **दिनांक : 01–06–2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त हरजीत सिंह उर्फ डॉक्टर की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया। नकल विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी पेश हुई। बहस जमानत प्रार्थनापत्र उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त से संबंधित मामले में अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	मामले का विशेष विवरण	
1.	एफ आई आर सं.	205/2026
2	संबंधित पुलिस थाना	टिब्बी
3.	जिला	हनुमानगढ़
4.	एफआईआर में दर्ज अपराध धारा	8/21 एनडीपीएस एक्ट
5.	गिरफतारी की दिनांक	12.05.2026
	न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की दिनांक	14.05.2026

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.05.2026 को रमेश चन्द्र उ.नि. कार्यवाहक थानाधिकारी पीएस–टिब्बी अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गश्त करते हुए मुखबिर मिलने पर 7.52 पीएम पर सुरेवाला से एनजीसी नहर के बांया पटड़ा सडक आम से होते हुए ख्यालीराम की ढाणी पहुंचे तो सामने से एक व्यक्ति मोटरसाईकिल सं. एचआर–44 एच–8465

पर सवार होकर आया जो पुलिस को देखकर मोटरसाईकिल मोडकर भागने का प्रयास करने लगा। शक होने पर उसे काबू किया व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरजीत सिंह उर्फ डॉक्टर होना बताया। जिसकी तलाशी ली गई तो पहनी लॉवर की बांयी जेब में एक पारदर्शी प्लास्टिक थैली के अंदर अवैध मादक पदार्थ हेरोईन/चिट्टा बरामद हुआ जिसका वजन करने पर थैली सहित वजन 10.25 ग्राम होना पाया गया। अभियुक्त के पास उक्त मादक पदार्थ अपने कब्जा में रखने बाबत् लाईसेंस/परमिट नही होना पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। बाद मौका की समस्त कार्यवाही थाना पर वापिस आकर प्राथमिकी सं. 205/2026 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट मे दर्ज की जाकर अनुसंधान रघुवीर सिंह पु.नि. थानाधिकारी पीएस–साईबर हनुमानगढ के सुपुर्द किया गया। प्रकरण अभी अनुसंधान में लंबित है। केस डायरी अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त हरजीत सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नलिखित हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नंबर	धारा एवं पुलिस थाना	नतीजा अदालत
1	240/08	16/54 आबकारी अधिनियम पीएस–अनूपगढ	–
2	511/08	279 337 आईपीसी पीएस–अनूपगढ	–
3	205/11	8/15 एनडीपीएस एक्ट पीएस–अनूपगढ	–
4	19/20	22 एनडीपीएस एक्ट पीएस–अनूपगढ	–
5	22/20	22 एनडीपीएस एक्ट पीएस–अनूपगढ	–
6	70/22	8/21, 29 एनडीपीएस एक्ट पीएस–अनूपगढ	–
7	111/23	8/21, 29 एनडीपीएस एक्ट पीएस–अनूपगढ	–
8	183/23	8/21, 29 एनडीपीएस एक्ट पीएस–अनूपगढ	–
9	135/24	8/21, 25 एनडीपीएस एक्ट पीएस–अनूपगढ	–
10	03/25	115(2), 126 (2) 332 BNS पीएस–अनूपगढ	–

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। प्रार्थी अपने घर में अकेला कमाने वाला है। प्रार्थी/अभियुक्त गिरफतारी की दिनांक से अभिरक्षा में है, जिसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके पारिवारिक जीवन एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पडेगा। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

4. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत के प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 12.05.2026 को अभियुक्त हरजीत सिंह के कब्जा से एक

प्लास्टिक थैली में 10.25 ग्राम हेरोईन/चिट्टा बरामद होने पर उसे गिरफतार किया गया है। केस डायरी में संलग्न आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य सात प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त की मादक पदार्थ के अपराध में संलिप्तता स्पष्ट होती है तथा इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उसे जमानत का लाभ दिये जाने पर वह अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा। हमारे समाज में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, न केवल नवयुवकों अपितु प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों को नशे ने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। नशे का व्यापार इस कदर समाज में बढ़ चुका है कि यह समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। नशे से संबंधित अपराध का प्रत्यक्षतः प्रभाव न केवल व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है अपितु नशा करने वाले अप्रत्यक्षतः चोरी, डकैती तथा अन्य प्रकृति के अपराधों से भी जुड़े हुए देखे जा सकते है। वर्तमान में इस क्षेत्र में मादक पदार्थो की तस्करी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे है। प्रकरण में बरामदशुदा अवैध एन.डी.पी.एस. घटक हेरोईन/चिट्टा की मात्रा मध्यम श्रेणी की है। ऐसी स्थिति में मेरे मत में ऐसे गंभीर प्रकरणों के अपराधों के प्रति किसी प्रकार का नम्र रूख रखना उचित नहीं होगा। अतः मैं मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उपयुक्त नहीं समझता हूँ।

–:आदेश :–

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त हरजीत सिंह उर्फ डॉक्टर की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

Sd/–

(पृथ्वी पाल सिंह)

7. आदेश आज दिनांक 01.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–

(पृथ्वी पाल सिंह)

नोट :– जांचा एवं प्रमाणित।

CHARANJEET LAL

Digitally signed by CHARANJEET LAL
Date: 2026.06.04 13:05:47 +0530